अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दी गई आरक्षण प्रसुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में राजस्थान सरकार ने यह सूचित किया है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दी गई आरक्षण प्रसुविधा से केवल ऐसे उम्मीदवारों को वंचित किया गया है जो राज्य सरकार की दिनांक 28.9.1993 की अधिसूचना के अनुसार श्रेणी-I अथवा श्रेणी-II के पदों पर कार्यरत थे और इस तरह आवेदन के समय भी "सम्पन्न वर्ग" (क्रीमी लेयर) में आते थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Public Facilities Counters on Government Offices

1040. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the steps taken to set-up public facilities counters in Government offices, to provide access to information of public importance, especially of specific plans or projects and targets for completion, etc.;

(b) the details of Ministries which have taken action to open such counters; and

(c) the follow-up action taken to persuade other Ministries to open such counters?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): (a) to (c) As part of the Government's decision to provide an effective and responsive administration and ensuring citizen-friendly Government, Information and Facilitation Counters have been set up in the first phase in 8 Government office Buildings viz., Shastri Bhavan, Krishi Bhavan, Dak Bhavan, Sanchar Bhavan, Rail Bhavan, Nirman Bhavan, Udyog Bhavan and North Block. About 40 Ministries/Departments having larger public interface will provide the members of the public and the customers of the Government simplified and speedy system of securing various information regarding schemes and procedures, submission of complaints and position of pending matters such as approvals, permits etc. These counters are being progressively computerised and are placed outside the security zone for easy accessibility. The question of extension of the scheme to other Ministries with public interface will be considered in due course.

Working Group on Right to Information and Promoting open and Transparent Government

1041. SHRI RAM JETHMALANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the working group constituted by Government to study the issues connected with the Right to Information and promoting open and transparent Government has submitted its report;

(b) if so, when the report was submitted and what are the main recommendations thereof;

(c) the number of recommendations accepted by Government; and

(d) the details of action taken regarding the implementation of those recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): (a) to (d) The Working Group on "Right to Information and Promotion of Open and Transparent Government", under the Chairmanship of Shri H.D. Shourie, submitted its report to the Government on the 21st May, 1997. The Group has prepared for consideration of the Government a draft "Freedom of Information Bill". Its other main recommendations are: amendments to Section 5 of the Official Secrets Act, 1923, Sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 together with consequential amendments in the Code of

Civil Procedure, 1908 and in the Code of Criminal Procedure, 1973, to rule 11 of the CCS (Conduct) Rules, 1964 and the Manual of Departmental Security Instructions relating to classification of information. The Report has been forwarded to the various Central Ministries/Departments and the State Governments/Union Territories administrations seeking their views/ comments on the recommendations made by the Working Group. The Ministries/ Departments administering the aforesaid Acts and other provisions have been separately requested to initiate action in respect of these recommendations.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को गोवा में अपनी गतिविधियों को रोक देने का आदेश

1042. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:**
श्री अमर सिंह:
श्री जॉन एफ० फर्नांडिस:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को राज्य में अपनी गतिविधियां नहीं चलाने के लिए कहा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ब्यूरो को किसी राज्य में अपनी गतिविधियां चलाने के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी राज्य में वहां की सरकार की अनुमति के बगैर भी केन्द्रीय सूची से संबंधित अपराधों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जारी रखने हेतु उसे शक्ति प्रदान करने हेतु यदि कोई योजना बनाई जा रही है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि जांच एजेंसियां निर्भीक रूप से मामलों की जांच कर सके?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन): (क) **जी, नहीं।** केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को गोवा सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसी राज्य की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले मामलों की जांच करने के लिए उस राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है।

(घ) तथा (ङ) संविधान के उपबंधों के अनुसार, पुलिस राज्य का विषय है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, किसी राज्य के अंतर्गत, राज्य-पुलिस-एजेंसी की भांति, उसे मिली शक्तियों से जांच करता है। यहां तक कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 में उल्लिखित मदों से संबंधित अपराधों के संबंध में भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच आरम्भ किए जाने से पहले, उसके द्वारा संबंधित राज्य सरकार की सहमति ली जानी आवश्यक होती है। यह मामला राज्य सरकारों के साथ भी उठाया गया और वे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपनी सहमति के बिना जांच करने देने की इच्छुक नहीं हैं। इस संबंध में जब तक वे सहमत नहीं हो जातीं और आम सहमति नहीं बन जाती, तब तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य सरकार की अनुमति के बिना जांच करने देने के सिलसिले में संविधान में अनुवर्ती संशोधन करना संभव नहीं है।

कच्छ में उद्योग व्यापार घाटा

1043. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्छ में उद्योग व्यापार घाटे में तीव्र वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जनवरी, 1997 से अब तक राज्य के उद्योग व्यापार घाटे में वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा है;

(घ) क्या सरकार ने व्यापार घाटे में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के प्रमुख कारणों का पता लगाया है;

(ङ) सरकार का, राज्य के व्यापार घाटे को किस प्रकार कम करने का विचार है; और

(च) क्या जिले में विद्यमान सूखे की स्थिति से औद्योगिक विकास दर लगातार नीचे गिर रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (च) किसी राज्य/जिले में उद्योग और व्यापार को विकसित करना प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है, केन्द्रीय सरकार संसाधनों के